कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर (आरा)

बिहार शिक्षा परियोजना,भोजपुर
मौलाबाग,आरा,भोजपुर–802301.

Bihar Education Project, Bhojpur
MoulaBag, Ara, Bhojpur-802301.

पत्रांक-SSA/PVT---35------/ दिनांक 12/01/2016

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

उर्सुलाइन इंग्लिश मिडियम स्कूल कारीसाथ

विषयः– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन पत्र दिनाकं .... और उसमें कम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के क्रिये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय उर्सुलाइन इंग्लिश मिडियम स्कूल कारीसाथ ....कक्षा.01 (एक) से 08 (आठ) तक संचालन हेतु तीन वर्षो 2016–17 से 2018–19 तक अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा से बाहर मान्य नही होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम,2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पडोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हे मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

Scanned with CamScanner

कार्यालय--जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर (आरा)
बिहार शिक्षा परियोजना,भोजपुर
मौलाबाग,आरा,भोजपुर–802301..
Bihar Education Project, Bhojpur
MoulaBag, Ara, Bhojpur-802301.

5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नही प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नही किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण प्रत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इनमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नही कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नही दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नही किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नही होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नही धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नही होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

Scanned with CamScanner

कार्यालय--जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर (आरा)
बिहार शिक्षा परियोजना,भोजपुर
मौलाबाग,आरा,भोजपुर--802301.
Bihar Education Project, Bhojpur
MoulaBag, Ara, Bhojpur-802301.

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल: 3.99 एकड़

कुल निर्मित क्षेत्र: 19993.36 वर्गफीट

खेल का मैदान का क्षेत्र: 125370.42 वर्गफीट

वर्ग कक्षो की संख्या : 12

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह– भंडार कक्ष: 03

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय: 14 बालक, बालिकाओं के लिए अलग-अलग

पेय जल की सुविधा: हैंडपम्प, नल

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर:

बाधारहित पहूँच: हाँ

शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल–कूद उपकरण / पुस्तकालय: उपलब्ध

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नही होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

Scanned with CamScanner

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंति

कार्यालय–जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर (आरा)

बिहार शिक्षा परियोजना,भोजपुर
मौलाबाग,आरा,भोजपुर–802301.

Bihar Education Project, Bhojpur
MoulaBag, Ara, Bhojpur-802301.

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नही होगा।
15. लेखा का अंकक्षेण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या BH07/0193/2016-17 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड का कृप्या अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय–समय पर मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वार उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से पूरा कने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
प्रस्वीकृति समिति सदस्य सचिव
भोजपुर।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम ...

क्र-2

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय भोजपुर (आरा)

पत्रांक -BEP/SSA-RTE/PVT School/XLX-1672/2011-12/-1365 दिनांक– 25/10/2019

Rec. Code-BHOJ0193/2016-17

सेवा मे,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,

URSULINE ENGLISH MEDIUM SCHOOL, Karisath, UDWANTNAGAR.

विषय :–बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन एवं प्राप्त घोषणा व दिनांक–27.09.2019 को निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति भोजपुर की सम्पन्न हुई बैठक के आलोक में आपके विद्यालय--URSULINE ENGLISH MEDIUM SCHOOL, Karisath, UDWANTNAGAR को कक्षा **I से V/VIII** तक संचालन हेतु पुर्व के औपबंधिक प्रस्वीकृति का नवीनीकरण, प्रस्वीकृति अवधी पुर्ण होने की तिथि से सत्र–2022–23 तक की अवधी के लिए प्रदान की जाती है–

प्रदत्त प्रस्वीकृति का नवीनीकरण निम्न शर्त्तों के अनुपालन के अधीन होगी:–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिरिथति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एव अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा क लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामलें में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन में उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन का विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:–

(क) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा मे रोककर नही रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(ख) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(ग) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(ङ) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(च) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान मे कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षों के अदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(छ) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

P.T.O

Scanned with CamScanner

वास्ते निजी विद्यालय का नाम- Ursuline English Medium School Karisath (Vill.
पता- DT. Bhojpur Bihar 802157

(01) यह कि यह विद्यालय द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 एव सगत नियमावली – "बिहार राज्य बच्चों के मुफत एव अनिवार्य शिक्षा नियमावली–2011" एव प्रस्वीकृति/नवीनीकरण पत्र में उद्धृत निदेशो का अनुपालन किया जाएगा।

(02) यह कि विद्यालय में निर्धारित अग्निशमन यंत्र, विद्युत सुरक्षा आदि की व्यवस्था/पुस्तकालय/विशेष बच्चो के रैंप/सुरक्षित व आवश्यकतानुसार समुचित वर्ग कक्ष विकास/प्रशिक्षित शिक्षक एव शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानक एवं मानदड के अनुसार सभी सुविधाएँ ससमय पुरा कर लिया जाएगा।

(03) यह कि यह विद्यालय संबंधित स्वंय सेवी संस्था/ट्रस्ट के अतर्गत संचालित है, जिसका अभिलेख विद्यालय में सुरक्षित है।

(04) यह कि यह विद्यालय की भुमी गैरविवादित एवं विद्यालय संचालन के लिए लीज/किराया/विद्यालय के नाम है जो 03 वर्षों की अवधी या उससे आगे की अवधी तक के लिए है।

(05) यह कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत वर्ग –01 में निर्धारित सीटों के 25 प्रतिशत सीट, अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चो के लिए आरक्षित होगा। ऐसे बच्चों को ससमय नियमानुकूल नि:शुल्क नामांकन एवं कक्षा–08 तक शिक्षण प्रदान किया जाएगा।

परिभाषा–(अ) अलाभकारी (NON BENIFICIARY- NB)&SC/ST/BC/EBC/Min समुदाय के बच्चे जिनके माता पिता की वार्षिक आय 100000 एक लाख तक हो।

(ब)कमजोर वर्ग(WEAKER SECTION-WS)सभी समुदाय के बच्चे जिनके माता पिता की आय 200000दो लाख से कम हो।

(06) विद्यालय साईन–बोर्ड मे "शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत वर्ग –01 मे 25 प्रतिशत सीट पर विद्यालय द्वारा अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नि:शुल्क नामांकन" का अंकन कर लिया जाएगा। साथ ही विद्यालय के सभी दस्तावेजो मे विद्यालय प्रस्वीकृति कोड एव वर्ष अंकित कर दिया जाएगा।

(07) नामांकन–

(क) नामांकन हेतु विद्यालय द्वारा ससमय सूचना प्रदर्शन एव प्रचार–प्रसार एवं जिला/प्रखंड को सूचना दिया जाएगा।

(ख) विद्यालय के द्वारा समान्य शुन्य रसिद पर नामांकन/पंजियन आवेदन वितरणकिया जाएगा।

(ग) विद्यालय मे वर्ग–01 में उपलब्ध 25%सीटों के समतुल्य अथवा इससे कम आवेदन होने पर सीधा नामांकन/अथवा अधिक आवेदन होने पर लॉटरी के माध्यम से नामांकन। इसकी पुर्व सूचना जिलो/ प्रखंड को सूचना दिया जाएगा।

(घ) अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का विद्यालय में समान्य प्रवेश पंजी में समान्य शुन्य राशि का रसिद के साथ नामांकन। कभी भी बच्चें से कोई शूल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चों के साथ कोई भेद–भाव नहीं किया जाएगा। समान्य बच्चो के तरह इन बच्चो को विद्यालय के सभी अभिलेखों/कक्षों में/प्रदर्शन में शामील किये जाएगें।

(ङ) किसी भी स्थिति में किसी दस्तावेज नहीं होनें की स्थिति में नामांकन रोका नहीं जाएगा। नामांकन हेतु कोई स्क्रीनिंग प्रकिया (यथा टेस्ट, साक्षात्कार आदि) अपनाई नही जाएगी अन्यथा इसे बच्चों के अधिकार का उल्लघंन माना जाएगा। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन जिम्मेवार होगें।

(08) सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय के नाम से अलग बैंक खाता नेशनलाईज बैंक मे खोला जाएगा एवं इस मद का अलग कैशबुक होगा जिसका प्रतिवर्ष विद्यालय वित्तीय ऑडिट कराया जाएगा।

(09) विद्यालय द्वारा कक्षा/पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क, मासिक अध्ययन शुल्क,वार्षिक शुल्क तथा पुस्तक पाठय सामग्री, पोशाक, आवागमन का खर्च आदि का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार विद्यालय द्वारा सभी प्रकार का शुल्क का ब्यौरा विगत एव वर्तमान वर्ष का ब्यौरा विद्यालय सूचना पट, एव विद्यालय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा। विद्यालय द्वारा अपना वेबसाईट का निर्माण कर लिया जाएगा।

(10) नियम– पूर्व शैक्षणिक वर्ष की तुलना में विद्यालय द्वारा सभी प्रकार के शुल्क में अधिकतम 07 सात प्रतिशत तक की वृद्धि ही अनुमान्य होगा। इससे अधिक के विचारण हेतु शुल्क विनियमन समिति के समक्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंम्भ होने के छ: माह पूर्व उपस्थापित करना होगा।

(11) विद्यालय मे कक्षावार पुस्तको की सूची, ड्रेस की विशिष्टियाँ एव अन्य आपेक्षित सामग्री की सूची विद्यालय द्वारा वेब साईट एव सूचना पटट् पर प्रदर्शित किया जाएगा। ताकि अभिभावक सुविधा अनुसार कहीं से भी क्रय कर सकें विद्यालय से अथवा स्थान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नहीं रखी जाएगी अन्यथा विद्यालय प्रबंधन दण्ड के भागी होगें।

विद्यालय सुरक्षा–संरक्षा

(12) विद्यालय में वालक/वालिका शौचालय अलग–अलग हो एवं विशेषकर वालिका शौचालय की देखभाल करने वाली महिला कर्मी ए आवश्यकतानुसार विद्यालय परिसर में जगह–जगह पर सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाने का कार्य ससमय पुरा कर लिया जाएगा।

(14) विद्यालय के सभी कर्मियों का सत्यापन संबंधित थाना से/बालिकाओं की संख्या के अनुपातिक महिला शिक्षिका का होना आवश्यक जिसे पुरा कर लिया जाएगा।

(16) विद्यालय अन्तर्गत अपना या भाडे अथवा किसी अन्य माध्यम से संचालित सभी तरह के वाहनों का फिटनेस तथा वाहन कर्मी व सत्यापन करा लिया जाएगा।

उपरोक्त विवरणों के अनुपालन हेतु अपना हस्ताक्षर बनाया ताकि समय पर काम आवे।

वास्ते

हस्ताक्षर विद्यालय निदेशक/प्रबंधक/प्राचार्य Principal
Ursuline English Medium Sch
Karisath, Bhojpur-802157

हस्ताक्षरी का नाम– Sr. Susanna
पदनाम– Principal

Scanned with CamScanner

Registration no (2311420202111230004 ...)

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | BHOJPUR

शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

बिहार सरकार

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

URSULINE ENGLISH MEDIUM SCHOOL,KARISATH

URSULINE ENGLISH MEDIUM SCHOOL,KARISATH

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 23-11-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 14-10-2022 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय URSULINE ENGLISH MEDIUM SCHOOL,KARISATH, URSULINE ENGLISH MEDIUM SCHOOL,KARISATH, KARISATH, 802157 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षो 14-10-2022 से 14-10-2025 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उध्दत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(I) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(II) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(III) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(VII) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(VIII) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

Attested
ERomould

Scanned with CamScanner

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 16146.9 डिसमिल

(III) खेल के मैदान क क्षेत्र :- PHYSICS LAB, CHEMISTRY LAB, BIOLOGY LAB, MATHS LAB,COMPUTER LAB,LIBRARY,PLAY GROUND,

(IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 24

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 4

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 20 , Girls 20

(Vii) पेयजल की सुविधा :- 20

(Viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(IX) बाधारहित पहुँच,[ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय :- MAPS,GLOBES,SLIDES,SMART BOARD,CHARTS,MODELS FOOTBALL,CRICKET BAT AND BALL, VOLLYBALL,BADMINTON,CAROM BOARD,CHESS,LUDO,SHOT-PUT,DISCUSS,JUMPING ROPE , (Y 999 , NewsPaper MagaZine:- 5)

11. कोई भी अस्वीकृत वर्ग का विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [23114262021112308S420, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

विश्वासभाजन
ह0 /-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, BHOJPUR
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

14.10.22

NOC LETTER

Scanned with CamScanner